29.5.12 पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान–न्याय आपके द्वार मे अटल सेवा केन्द्र ग्रा.प.करना मे पेश हुई। पक्षकारान को जारी लोक अदालत नोटिस मूलवाद मे बाद तामिल प्राप्त हुई।मूलवाद मे विप्रार्थी स.4 से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री बीजाराम गोदारा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया है। शेष पक्षकारान बावजुद सुचना के अनुपस्थित। हस्तगत प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं दस्तावेजो का अवलोकन किया। जिसमे पाया कि ग्राम भाणा मगरा तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 43 रकबा 142–09 बीधा व खसरा सख्ंया 43/6 रकबा 10 बीधा भूमि के के प्रार्थी व विप्रार्थी स.1 से 7 सहखातेदारान है। और रिकार्डड सहखातेदारान के विरूद्व स्थगन आदेश जारी नही किया जा सकता है। एवं प्रार्थी हस्तगत प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार है,और न ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध है,जिससे साबित होता है,कि प्रार्थी विवादित भूमि मे स्थगन आदेश जारी करवाने का हकदार हो। लिहाजा प्रार्थी का आवेदनपत्र सारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

आदेश मजमे आम सुनाया गया।

पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफतर हो।

29/5/12
सहायक कलेक्टर
SDC सिणधरी

Scanned by CamScanner